

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग,

—:अधिसूचना:—

सं० सं० — 12/नियो0 स्था0-02/2026...688.....

पटना, दिनांक:-30/06/2026

बिहार नियोजन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण/अभ्यावेदन के आलोक में स्थानान्तरित करते हुए कॉलम-04 में अंकित पद (स्तम्भ-5 में अंकित अतिरिक्त प्रभार के साथ) पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्रम सं०	नाम, गृह जिला एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थल	स्थानान्तरण स्थल	अतिरिक्त प्रभार
01	02	03	04	05
01	श्री राजीव रंजन कुमार, रोहतास (उप निदेशक)	उप निदेशक (नियोजन), मुख्यालय पटना	उप निदेशक (नियोजन), मगध प्रमंडल, गयाजी	—
02	श्रीमती श्वेता वशिष्ठ, उत्तर प्रदेश (नियोजन पदाधिकारी)	नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, मुजफ्फरपुर	जिला नियोजन पदाधिकारी, मुंगेर	जिला नियोजन पदाधिकारी, लखीसराय
03	श्रीमती शिखा राय, कैमूर (जिला नियोजन दाधिकारी)	जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, शेखपुरा	नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, मुजफ्फरपुर	—
04	श्री राणा अमितेश, नालंदा (जिला नियोजन पदाधिकारी)	जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, बेगूसराय	जिला नियोजन पदाधिकारी, वैशाली	—
05	श्रीमती गार्गी, दरभंगा (नियोजन पदाधिकारी)	नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना	नियोजन पदाधिकारी, विश्वविद्यालय नियोजन, सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, पटना	जिला नियोजन पदाधिकारी, जहानाबाद
06	सुश्री अंजली कुमारी, पूर्णियाँ (नियोजन पदाधिकारी)	नियोजन पदाधिकारी, विश्वविद्यालय नियोजन, सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, पटना	नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना	—
07	सुश्री अंकिता, मुंगेर (नियोजन पदाधिकारी)	नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, सहरसा	जिला नियोजन पदाधिकारी, खगड़िया	जिला नियोजन पदाधिकारी, बेगूसराय
08	सुश्री आकृति कुमारी, पटना (नियोजन पदाधिकारी)	नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, गयाजी	जिला नियोजन पदाधिकारी, जमुई	जिला नियोजन पदाधिकारी, शेखपुरा

24

2. प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपने मूल पद के दायित्व के अतिरिक्त, श्री अमित कुमार (सहायक निदेशक, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, सहरसा), नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, सहरसा, श्रीमती रजिया इदरीसी (सहायक निदेशक, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, गयाजी), नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, गयाजी एवं श्री लरविन कुमार (जिला नियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा), जिला नियोजन पदाधिकारी, सुपौल के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

3. क्रम सं०-01, 04, 05, 06 एवं 07 पर अंकित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है, अतः स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

4. पूर्व में निर्गत अतिरिक्त प्रभार संबंधी अधिसूचना/आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

RK
30.6.2026

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-12/नियो० स्था०-02/2026.....688

पटना, दिनांक 30/06/2026

प्रतिलिपि:— प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी०डी० सहित) बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सभी नियोजन पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/बिहार नियोजन सेवा के सभी पदाधिकारी/अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी/युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, पटना (मुख्यालय) के सभी पदाधिकारियों/आई०टी० प्रबंधक (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

RK
30.6.2026

सरकार के अवर सचिव